बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग का नागरिक चार्टर

दृष्टि :-

महिलाओं एवं शिशुओं के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के समन्वय एवं अनुश्रवण करने तथा महिलाओं को देश की मुख्य विकास की धारा में सम्मिलित करने, उनको सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के दृष्टिगत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की स्थापना की गयी है।

देश का भविष्य 06 वर्ष के बच्चों में निहित है। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं इसलिये यह आवश्यक है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। इसके लिये बच्चों के गर्भ में आने से लेकर ही देखभाल किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके लिये बच्चे के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण के लिये समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

लाभपात्र :-

07 माह से 03 वर्ष के शिशु, 03 से 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला धात्री मातायें एवं किशोरी बालिकायें

हमारी गतिविधियां :-

1- नवजात शिशुओं की देखभाल एवं प्रारम्भिक शिक्षा 2- स्वास्थ्य प्रतिरक्षण ध्टीकाकरण) 3- स्वास्थ्य जॉंच 4- स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा 5- दिशा निर्देशन एवं सन्दर्भ सेवायें

हमारी सेवायें :-

1- अनुपूरक पोषाहार 2- स्वास्थ्य प्रतिरक्षण ध्टीकाकरण) 3- स्वास्थ्य जॉंच 4- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा 5- स्कूल पूर्व शिक्षा 6- दिशा निर्देशन एवं सन्दर्भ सेवायें

हमारा संकल्प :-

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य पोषण तथा शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिये प्रतिबद्ध है।

इसके लिये भारत सरकार द्वारा प्रदेश को आवश्यक वित्तीय संशाधन तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास, अच्छे स्वास्थ्य, कुपोषण को दूर करने के लिये अनुपूरक पोषाहार तथा स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। साथ ही साथ किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उनको सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुसंगत बनाने हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक, केयर, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा यूनिसेफ द्वारा भी समय-समय पर विभिन्न प्रकार से सहायता तथा मार्ग दर्शन प्रदान किया जाता है।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य :-

1- बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की नीव डालना।
2- 06 वर्ष से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना।
3- मृत्युदर, अस्वस्थता, कुपोषण एवं स्कूल की पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
4- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम कियान्वयन हेतु हर स्तर पर उचित समन्वय स्थापित करना।
5- उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमताओं का विकास करना, जिससे वे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, विकास की आवश्यकताओं को पहचान सकें, और उचित निर्णय ले सके और देखभाल कर सके।

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु 150-400 की आबादी पर एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 400-800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना की जाती है।

हमारा लक्ष्य :-

1- अति कुपोषित एवं आंशिक रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाना।
2- शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
3- कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या में कमी लाना।

विभाग की मुख्य गतिविधियों का संक्षिप्त विवरणः-

1- अनुपूरक पोषाहारः- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 07 माह से 06 वर्ष के कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। कुपोषित बच्चों को कम से कम 300 कैलोरी उर्जा और 08-10 ग्राम प्रोटीन, अति कुपोषित बच्चों, किशोरियों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिये 600 कैलोरी उर्जा तथा 20 से 25 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन अनुपूरक पुष्टाहार में प्रतिदिन उपलब्ध कराने का मानक तैयार किया गया है।

2- स्वास्थ्य प्रतिरक्षण टीकाकरण) :- विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से परियोजना क्षेत्र में आने वाले 01 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाऐ जाते है एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य जॉच क्षेत्रीय ए0एन0एम0 के माध्यम से कराती है।

3- स्वास्थ्य जॉंच :- रोगों के निवारण तथा प्राथमिक उपचार के लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यरत ए0एन0एम0 से समन्वय कर आवश्यक दवाइयॉं दिलाने की व्यवस्था करती है।

4- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा :- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा गृह सम्पर्क के दौरान तथा ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं को बच्चों के लालन पालन, स्वास्थ्य, सफाई एवं सामान्य बीमारियों के सम्बन्ध में शिक्षित किया जाता है।
5-स्कूल पूर्व शिक्षा :- 03 से 06 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। यह समेकित बाल विकास परियोजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में जाने से पहले ऑगनबाड़ी शिक्षा प्रकिया का पहला चरण है। इसका उद्देश्य बच्चों की शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकास के साथ ही उनकी भाषा एवं बुद्धि का भी विकास करना है।

6- निर्देशन एवं संदर्भ सेवा :- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सहायता से क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवायें हेतु संदर्भित करती है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं :-
1- महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना :- शासन के सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय की नीति को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार ने समाज में बालकों के सापेक्ष बालिकाओं के घटते अनुपात, भ्रूण हत्या रोकने एवं बालिकाओं को सम्मानजनक/आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं व्यस्क विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना आरम्भ की है। इस योजना से 15 जनवरी, 2009 को एवं इसके उपरान्त जन्मी बालिकाओं को आच्छादित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार में जन्मी बालिकाओं के नाम एकमुश्त धनराशि 18 वर्ष के लिए सावधि जमा की जाती है। बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में बालिका को उक्त जमा धनराशि की परिपक्व राशि का भुगतान किया जायेगा, जो 18 साल बाद परिपक्व होकर एक लाख रूपये हो जायेगी। योजना से लाभ पाने के लिए पात्र परिवार को घर के समीपस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर पंजीकरण कराना होगा। आंगनबाड़ी केन्द्र पर आवेदन पत्र निः शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। बालिका के जन्म से एक माह के भीतर पात्र बालिका को लाभान्वित किया जाता है।

2- किशोरी शक्ति योजना :- इस योजना के अन्तर्गत किशारी बालिकाओं को प्रजनन, स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरुक करना, पोषण सम्बन्धी रक्ताल्पता को कम करना, किशोरी बालिकाओं उचित जानकारी एवं सूचनाओं द्वारा उनके शरीर एवं स्वयं के बारे में जागरुक करना स्वरोजगार के अवसर के उद्देश्य से 03 दिवसीय स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं 60 दिवसीय तकनीकी व्यावहारिक प्रशिक्षण जैसे - सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार मुरब्बा आदि का प्रशिक्षण पोलीटेक्निक, नेहरु युवा केन्द्र, आई0टी0आई0 के माध्यम से प्रशिक्षित कर लाभान्वित किया जाता है। यह योजना प्रदेश के 50 जनपदों की 602 परियोजनाओं में लागू है।

3- राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना सबला) :- यह योजना उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों - श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा, सोनभद्र, सीतापुर, मिर्जापुर, चन्दौली, छत्रपतिसाहूजी महारा. जनगर, महोबा, पीलीभीत, रायबरेली, बांदा, फर्रूखाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर, जालौन, बिजनौर तथा लखनऊ की कुल 257 परियोजनाओं में लागू है। योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को स्व विकास के लिए समर्थ बनाना, उनका सशक्तीकरण करना, किशोरियों के पोषण व स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना, किशोरियों को स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सफाई, पोषण, प्रजनन, बच्चों की देखभाल के सम्बन्ध में जानकारी देना, किशोरियों के घरेलू कौशल, जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल को बढ़ाना, किशोरियों को मुख्यधारा के विघालयों से पृथक औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, जनस. ेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक एवं पोलिस स्टेशन के बारे में जानकारी देना तथा उनका मार्ग दर्शन करना। योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष आयु की सभी किशोरी बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। इस लक्षित समूह को दो भागों में बांटा गया है - पहला 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरियां तथा दूसरा 14 से 18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाएं।

सम्पर्क :-
1- प्रमुख सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दूरभाष : 0522 - 2237191
2- निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
दूरभाष : 0522 - 2287249
3- अपर निदेशक, घ्प्रशासन) दूरभाष : 0522 - 2287056
4- जन सूचना अधिकारी, दूरभाष : 0522 . 2287034